भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 *74

2 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

वहनीय किराये के आवास परिसर योजना

***74. श्री बिद्युत बरन महतो:**

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान घर वापस जाने वाले प्रवासियों हेतु एक वहनीय किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) योजना को अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एआरएचसी योजना का पहला चरण आरंभ होने की समय-सीमा क्या है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत संपत्तियों के संबंध में किरायेदार की बेदखली के विरुद्ध मौजूदा संरक्षण और किराया नियंत्रण के प्रावधान किस हद तक लागू होंगे;

(घ) सरकार का विचार किस तरीके से लाभार्थी का पता लगाने (मैपिंग) संबंधी प्रक्रिया को शुरू करने और इस कार्य में तेजी लाने का है;

(ङ) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा भविष्य में किसी समय किराए की संपत्ति की खरीद की संभावना क्या है; और

(च) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'वहनीय किराये के आवास परिसर योजना' के संबंध में दिनांक 02.12.2021 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *74 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी हां। एआरएचसी योजना का विवरण http://arhc.mohua.gov.in/filesUpload/Operational-Guidelines-of-ARHCs.pdf. पर उपलब्ध है।

(ख): एआरएचसी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त परियोजनाओं पर पीएमएवाई-यू मिशन की अवधि अर्थात मार्च 2022 तक अनुमोदन के लिए विचार किया जाना है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही प्रारंभ की जा चुकी है।

(ग): किरायेदारों की बेदखली के विरूद्ध सुरक्षा सहित हितधारकों के हितों की रक्षा और लड़ाई-झगड़े/जटिलता से बचने के लिए, एआरएचसी को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा राज्य किराया कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है। एआरएचसी को विवाद के त्वरित समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित मॉडल किराएदारी अधिनियम (एमटीए) पर आधारित मौजूदा विधान के स्थान पर अधिनियमित नवनिर्मित या संशोधित विधान द्वारा शासित किया जाएगा।

(घ): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी संस्थाएं अपने यहाँ कार्यरत कामगारों/श्रमिकों को आवास प्रदान करने के साथ-साथ आस-पास की संस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एआरएचसी का उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में अन्य संस्थाओं/संगठनों के साथ सहयोग अथवा प्रवासी मजदूरों/शहरी गरीबों को एग्रीगेटर्स के माध्यम से किरायेदारों के वेतन/शुल्क/किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक आदि से सीधा किराया काटने की अनुमति दी गई है।

(ड.): एआरएचसी योजना केवल प्रवासी मजदूरों/शहरी गरीबों को किराये पर आवास प्रदान करने के लिए है और इसमें लाभार्थियों द्वारा आवास इकाई की खरीद के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(च): लाभार्थियों के लिए मौजूदा खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित करने और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध भूमि पर निर्मित किए जाने हेतु स्वीकृत एआरएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है:

****

दिनांक 02.12.2021 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *74 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल -1 के तहत लाभार्थियों के लिए मौजूदा सरकारी वित्तपोषित रिक्त आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण:

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	एआरएचसी में परिवर्तित रिक्त आवासों की संख्या	आबंटित लाभार्थियों की संख्या
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195	2,195
2.	गुजरात	सूरत	393	393
3.	गुजरात	अहमदाबाद	1,376	1,376
4.	राजस्थान	चित्तोडगढ़	480	480
योग			**4,444**	**4,444**

ख. योजना के मॉडल -2 के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाने हेतु स्वीकृत एआरएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्रमांक	शहर/राज्य का नाम	संस्था का नाम	इकाइयों की कुल संख्या
1.	श्रीपेरुमबुदुर, तमिलनाडु	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18,112
2.	श्रीपेरुमबुदुर, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	3,969
3.	होसुर, तमिलनाडु	टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	11,500
4.	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720
5.	चेन्नई, तमिलनाडु	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,040
6.	रायपुर, छत्तीसगढ़	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222
7.	कामपुर टाउन, असम	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222
8.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,112
9.	सूरत, गुजरात	मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	453
10.	चेन्नई, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5,045
11.	निज़ामपेट, तेलंगाना	सिवानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	14,490
योग			**78,885**